अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र

Andaman And Nicobar Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

Published by Authority

सं. 119, पोर्ट ब्लेयर, शुक्रवार, 14 जून, 2019

No. 119, Port Blair, Friday, June 14, 2019

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन

सचिवालय

अधिसूचना

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 14 जून, 2019।

सं. 119/2019/फा.सं. 2–817/स्टार्ट–अप नीति/पीएल/आईएनडी/2018–19.–माननीय उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के खण्ड 10.2 अभिनव तथा स्टार्ट–अप नीति के अनुसरण में निम्नलिखित संरचना सहित "अण्डमान तथा निकोबार अभिनव दल (अनिन्ट) गठित करते हैं :–

1	सचिव (उद्योग), अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन	अध्यक्ष
2	निदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन	सदस्य
3	उद्योग निदेशक, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन	सदस्य
4	वरिष्ठ लेखा अधिकारी (वित्त), अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन	सदस्य
5	विशेष कार्य अधिकारी (सू. प्रौ.) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
6	प्रौद्योगिकी / स्टार्ट–अप उद्योग से वरिष्ठ अनुभवी व्यवसायी तथा 02 युवा व्यवसायी (अधिमान्यता अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह निवासी)	सदस्य
7	उप निदेशक, उद्योग निदेशालय	सदस्य सचिव

अनिन्ट अण्डमान तथा निकोबार अनुभवी तथा स्टार्ट–अप नीति का संचालन करने वाला नोडल दल होगा । अभिनव दल द्वारा निम्नलिखित कार्य का निष्पादन किया जाएगा ।

क) अण्डमान तथा निकोबार अभिनव दल (अनिन्ट) स्टार्ट–अप के सारे आर्थिक लाभ वाले आवेदनों की जाँच करेगा तथा आवश्यक जाँच के पश्चात् दो सप्ताह के भीतर अनिन्ट द्वारा स्टार्ट–अप समिति को सभी दस्तावेज उपलब्ध करवाया जाएगा । यदि आवश्यक हुआ तो अनिन्ट द्वारा स्टार्ट–अप आवेदक के साथ बैठक भी की जा सकती है ।

ख) इस नीति के तहत प्रस्तावित वित्तीय प्रोत्साहन के संवितरण का अनुवीक्षण करना ।

ग) इस नीति के उद्देश्य के अनुवीक्षण के लिए विशेष कार्य निष्पादन संकेतक बनाना ।

घ) अण्डमान तथा निकोबार अभिनव तथा स्टार्ट–अप प्रस्ताव के लिए ऑन लाईन पोर्टल शुरू करना ।

उस पोर्टल द्वारा समय पर इस नीति की प्रगति का पता लगाया जाएगा तथा उद्देश्य के अनुवीक्षण तथा सूचना के संबंध में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाएगा ।

ङ) समय–समय पर कार्यान्वयन प्रकिया की जाँच कर इसकी सूचना अण्डमान तथा निकोबार स्टार्ट–अप समिति को देना ।

च) समय–समय पर नीति दस्तावेजों की पुनः जाँच करना तथा स्टार्ट–अप समिति को सिफारिश तथा सुझाव देना जिससे कि उसे परितंत्र के अनुसार बदला जा सके ।

छ) अनिन्ट द्वारा प्रत्येक 04 महीने में स्टार्ट–अप की जाँच की जाएगी तथा इसकी रिपोर्ट स्टार्ट–अप समिति को दिया जाएगा ।

एडमिरल डी.के. जोशी
पी.वी.एस.एम, ए.वी.एस.एम, वाई.एस.एम, एन.एम, वी.एस.एम (अवकाश प्राप्त)
उप राज्यपाल,
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह।

उप राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ह./
(अजीत आनंद)
उद्योग निदेशक